



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को प्रस्तावित 132/33 के 0 वही 0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला में रायगढ़ वनमण्डल के ग्राम पुटकापुरी के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 133/1 रकबा 8.628 हे. में से 1.80 हे. (150m. X 120m.) भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) 1.80 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पुटकापुरी तहसील पुसौर जिला रायगढ़ में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17.10.2015 एवं 05.12.2015 (प्रदर्श - "अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श - "ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पुटकापुरी के सरपंच श्री श्रवण कुमार सिदार की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17.10.2015 एवं 05.12.2015 में रखा गया था एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे। जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

क्रं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
1	2	3	4
1	पुटकापुरी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17.10.2015 एवं 05.12.2015 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 17.10.2015 एवं 05.12.2015 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

दिनांक 24/08/2016

(श्रीमती अलरमेलमंगई डी.)

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)